पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवाई) के अन्तर्गत 9 करोड़ 99 लाख 60 हजार की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान

लखनऊ : 02 जनवरी, 2026

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम मे उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसवाई) के अन्तर्गत अनुदान सं0–83 में वित्तीय वर्ष 2025–26 में एस०एन०ए० स्पर्श प्रणाली पर भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश धनराशि की मदर संेक्शन के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि कुल मिलाकर रू 9 करोड़ 99 लाख 60 हजार की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनान्तर्गत एस०एन०ए० स्पर्श माडयूल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मदर सैक्शन के सापेक्ष अनुदान सं0–83 (अनु० जाति मद) मानक मद–27 सब्सिडी के अंतर्गत केन्द्रांश की धनराशि रू0 59976000/– के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0 39984000/– इस प्रकार कुल धनराशि रू0 99960000/– (रू0 नौ करोड निन्यानबे लाख साठ हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

इस सम्बन्ध मे आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य द्वारा सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित दिशा निर्देशो व गाइड लाइन के अनुरूप समय से किया जाय, इसमे किसी प्रकार की शिथिलिता क्षम्य नही होगी।

जारी शासनादेश मे कहा गया है कि धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।जारी शासनादेश मे कहा गया है कि धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सम्पर्क सूत्र– बी0एल0 यादव

राघवेन्द्र/04:45 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in